UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

REPORT OF 15 DAYS INTENSIVE DOOR-TO-DOOR CAMPAIGN

ON

''स्थायी लोक अदालतः न्याय की बात हमारे साथ''

ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND
FROM 11TH AUGUST, 2025 TO 25TH AUGUST, 2025

It is kindly submitted that as per Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987, total 07 Permanent Lok Adalats are functional in the State of Uttarakhand (Permanent Lok Adalats in District Dehradun, Haridwar, Nainital and Udham Singh Nagar are functional since November, 2017 and Permanent Lok Adalats in District Almora, Pauri Garhwal and Tehri Garhwal are functional since July, 2025), which play a significant role for providing an alternative mechanism for resolving disputes quickly and effectively relating to ***"Public Utility Services"*** as defined and notified under Section 22-A(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

In order to ensure the strengthen and promote the role, objectives, and benefits of Permanent Lok Adalats, it is essential to make wider publicity by organizing legal awareness camps and outreach programmes across the district through the respective District Legal Services Authorities.

In view of the above, the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital has been pleased to issue the following directions with regard to enhancing the efficiency of Permanent Lok Adalats constituted in the State of Uttarakhand:

i. The concerned District Legal Services Authorities are directed to launch a **15 Days Intensive Door-to-Door Campaign on** "स्थायी लोक अदालतः न्याय की बात हमारे साथ" **from 11th August, 2025 to 25th August, 2025** to raise awareness about the role, objective and benefits of the Permanent Lok Adalats by organizing legal awareness camps and outreach programmes in the entire district; in coordination with the concerned Permanent Lok Adalats.

ii. The concerned District Legal Services Authorities are directed to engage community Para Legal Volunteers to educate the public about the benefits and functioning of Permanent Lok Adalats.

iii. The concerned District Legal Services Authorities are directed to leverage media, mobile apps, social media platforms, and other digital tools to spread awareness and allow citizens to access information about Permanent Lok Adalats and their functioning.

iv. The concerned District Legal Services Authorities are also directed to print the informative materials like; brochures, pamphlets, banners or posters, etc. regarding role, objective and benefits of the Permanent Lok Adalats; in coordination with the concerned Permanent Lok Adalats, and to distribute the same to the public at large during this campaign. These materials should be accessible in Hindi language and easy to understand.

v. The concerned District Legal Services Authorities are directed to organize *Nukkad Nataks* on the aforesaid subject during the campaign.

In compliance of the aforesaid directions, concerned District Legal Services Authorities launched a **15 Days Intensive Door-to-Door Campaign on** "स्थायी लोक अदालतः न्याय की बात हमारे साथ" **from 11th August, 2025 to 25th August, 2025** to raise awareness about the role, objective and benefits of the Permanent Lok Adalats by organizing legal awareness camps and outreach programmes in the entire district; in coordination with the concerned Permanent Lok Adalats.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the aforesaid Campaign, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of Legal Awareness camps and outreach Programmes conducted.	No. of persons attended these Legal Awareness camps and outreach Programmes.	No. of Nukkad Natak organized.	Total area covered by the PLVs during this campaign.
Almora	320	12971	-	320
Bageshwar	20	575	0	19 Villages
Chamoli	37	1465	-	-
Champawat	54	1265	01	130 Villages
Dehradun	25	2500	04	Dehradun, Vikasnagar, Rishikesh, Doiwala and Mussoorie
Haridwar	294	1850	01	29 Villages
Nainital	203	7286	04	203
Pauri Garhwal	94	3919	Nil	70%
Pithoragarh	10	500 (Approx.)	Nil	Malli Mirthi, Bhanuda Askot, Dhungakhani, Badalu, Munakot, Police Line, Aincholi
Tehri Garhwal	92	2391	Nil	Approx. the whole district.
Udham Singh Nagar	137	13524	-	All over District.
Uttarkashi	109	2500 (Approx.)	-	Throughout the District.
TOTAL	**1395**	**50746 (Approx.)**	10	-

***Jurisdiction of District Rudrapryag was not given to any District. Accordingly, the aforesaid activities were not conducted in District Rudraprayag.**

<u>NOTE</u>: It is kindly submitted that despite extreme weather conditions/heavy rainfall in the State of Uttarakhand during the aforesaid period, the aforesaid campaign was successfully organized by the District Legal Services Authorities in the State of Uttarakhand.

As per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid campaign, **total 1395 legal awareness camps and outreach programmes organized** wherein **around 50746 persons attended** these legal awareness camps and outreach programmes.

Apart from the above, publicity materials like; Brochures, Banners, Pamphlets, Gumming Sheets were also prepared and distributed to the public at large during the aforesaid campaign. Publicity of the same was also done through Local Radio Channels, Facebook, Newspaper and Social Media platform.

Additionally, based on the feedback received from the public at large, the aforesaid campaign was regarded as an informative and commendable initiative, aimed at ensuring effective and prompt access to justice for the needy. The efforts undertaken by the Legal Services Institutions were widely appreciated by the public.

* * * * *

ALMORA

बाड़ी, गढ़स्यारी, भिनोला, मेल्टी,बाडीबगीचा, सिरमौली ,तियाण,पोखरखाली में चलाया गया डोर टू डोर जागरूकता अभियान

देव केसरी /रिपोर्टर/ शुभम जोशी/ अल्मोड़ा -स्थाई लोक अदालत- न्याय की बात हमारे साथ 15 दिवसीय डोर टू डोर जागरूकता अभियान के अनुक्रम में अधिकार मित्र भावना आर्या ,गोविंदी बिष्ट,किरन आर्या,पूजा शाह, हिमानी खोलिया, पंकज भगत, दीपा भंडारी,प्रकाश चंद्र औली, दीपा बिष्ट अमर प्रकाश,नीमा कोहली, प्रकाश राम द्वारा ग्राम बाड़ी, गढ़स्यारी, भिनोला, मेल्टी,बाडीबगीचा, सिरमौली ,तियाण,पोखरखाली में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया ।उपस्थित व्यक्तियों को स्थाई लोक अदालत के लाभ, भूमिका, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवाएं) योजना, 2016,साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखाधड़ी/ घोटालों,नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशीली दवाओं की लत के दुष्प्रभावों, किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नकारात्मक परिणामों, नशे या शराब की लत की रोकथाम और उसके प्रभाव, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार,महिला प्रतिकर योजना-2020, पोक्सो अधिनियम, पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100,माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007,अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएं व 1 जुलाई 2025 से 90 दिन तक चल रहे मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान व आगामी 13 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी दी गई।

BAGESHWAR

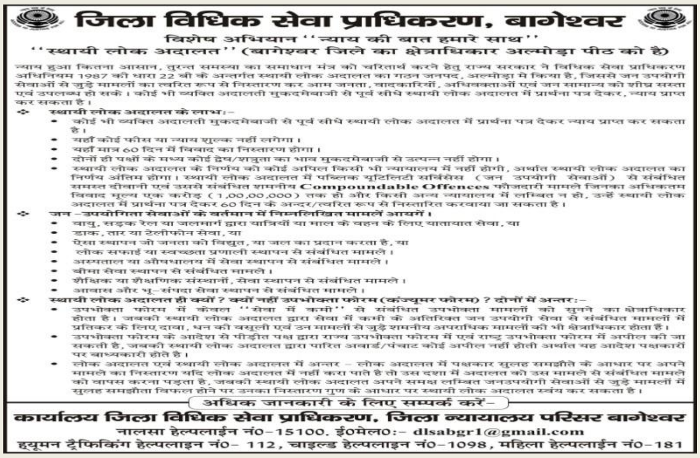

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर

विशेष अभियान ''न्याय की बात हमारे साथ''

''स्थायी लोक अदालत'' (बागेश्वर जिले का क्षेत्राधिकार अल्मोड़ा पीठ को है)

न्याय हुआ कितना आसान, तुरन्त समस्या का समाधान मंत्र को चरितार्थ करने हेतु राज्य सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन जनपद, अल्मोड़ा मे किया है, जिससे जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित रूप से निस्तारण कर आम जनता, वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं जन सामान्य को शीघ्र सस्ता एवं उपलब्ध हो सके। कोई भी व्यक्ति अदालती मुकदमेबाजी से पूर्व सीधे स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर, न्याय प्राप्त कर सकता है।

- **स्थायी लोक अदालत के लाभः-**
  - कोई भी व्यक्ति अदालती मुकदमेबाजी से पूर्व सीधे स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है।
  - यहाँ कोई फीस या न्याय शुल्क नहीं लगेगा।
  - यहाँ मात्र 60 दिन में विवाद का निस्तारण होगा।
  - दोनों ही पक्षों के मध्य कोई द्वेष/शत्रुता का भाव मुकदमेबाजी से उत्पन्न नहीं होगा।
  - स्थायी लोक अदालत के निर्णय की कोई अपिल किसी भी न्यायालय में नहीं होगी, अर्थात स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा। स्थायी लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस (जन उपयोगी सेवाओं) से संबंधित समस्त दीवानी एवं उससे संबंधित शमनीय **Compoundable Offences** फौजदारी मामले जिनका अधिकतम विवाद मूल्य एक करोड़ (1,00,00,000) तक हो और किसी अन्य न्यायालय में लम्बित न हो, उन्हें स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर 60 दिन के अन्दर/त्वरित रूप से निस्तारित करवाया जा सकता है।
- **जन -उपयोगिता सेवाओं के वर्तमान में निम्नलिखित मामलें आयगें।**
  - वायु, सड़क रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या
  - डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या
  - ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, या जल का प्रदान करता है, या
  - लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली स्थापन से संबंधित मामले।
  - अस्पताल या औषधालय में सेवा स्थापन से संबंधित मामले।
  - बीमा सेवा स्थापन से संबंधित मामले।
  - शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, सेवा स्थापन से संबंधित मामले।
  - आवास और भू-संपदा सेवा स्थापन से संबंधित मामले।
- **स्थायी लोक अदालत ही क्यों ? क्यों नहीं उपभोक्ता फोरम (कंज्यूमर फोरम) ? दोनों में अन्तरः-**
  - उपभोक्ता फोरम में केवल ''सेवा में कमी'' से संबंधित उपभोक्ता मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार होता है। जबकी स्थायी लोक अदालत द्वारा सेवा में कमी के अतिरिक्त जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों में प्रतिकर के लिए दावा, धन की वसूली एवं उन मामलों से जुड़े शमनीय अपराधिक मामलों की भी क्षेत्राधिकार होता हैं।
  - उपभोक्ता फोरम के आदेश से पीड़ीत पक्ष द्वारा राज्य उपभोक्ता फोरम में एवं राष्ट्र उपभोक्ता फोरम में अपील की जा सकती है, जबकी स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड/पंचाट कोई अपील नहीं होती अर्थात यह आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होते है।
  - लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत में अन्तर - लोक अदालत में पक्षकार सुलह समझौते के आधार पर अपने मामले का निस्तारण यदि लोक अदालत में नहीं करा पाते है तो उस दशा में अदालत को उस मामले से संबंधित मामले को वापस करना पड़ता है, जबकी स्थायी लोक अदालत अपने समक्ष लम्बित जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में सुलह समझौता विफल होने पर उनका निस्तारण गुण के आधार पर स्थायी लोक अदालत स्वंय कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर

नालसा हेल्पलाईन नं0-15100, ई0मेल0:- dlsabgr1@gmail.com

ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन नं0- 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नं0-1098, महिला हेल्पलाईन नं0-181

CHAMOLI

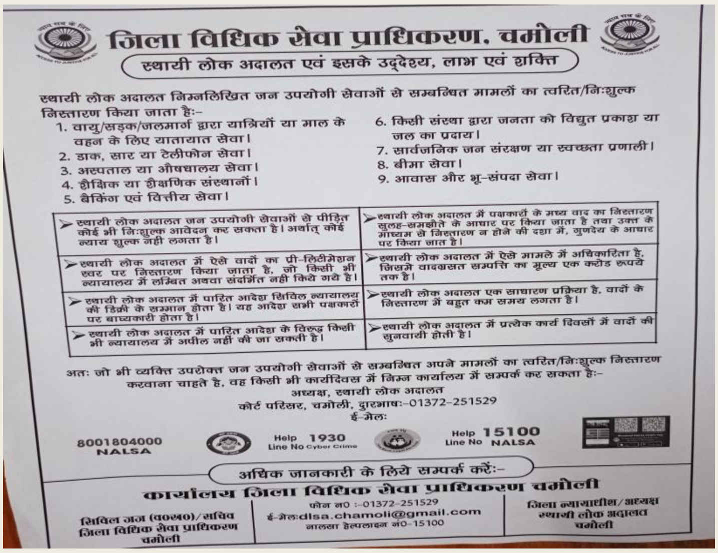

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

NAINITAL

25 अगस्त तक चलेगा स्थायी लोक अदालत : न्याय की बात हमारे साथ जागरुकता अभियान

आज समाचार सेवा

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में 11 अगस्त से 25 अगस्त तक स्थायी लोक अदालत : न्याय की बात हमारे साथ विषय पर 15 दिवसीय जगरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है ।

न्याय हुआ कितना आसान- तुरंत समस्या का समाधान मंत्र को चरितार्थ करने हेतु राज्य सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अनार्गत स्थायी लोक अदालत का गठन जनपद नैनीताल में किया है जिसमें जिला नैनीताल से संबंधित मामलों के साथ साथ जिला चंपावत के मामले भी सुने जाते हैं। स्थाई लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से जूड़े विवादों के मामलों का निस्तारण कर आम जनता, वादकारियों एवं जन सामन्य को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय मुहैया कराया जाता है। स्थायी लोक अदालत के लाभ कोई भी व्यक्ति जब उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों में अदालती मकदमेबाजी से पूर्व सीधे स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। यहां कोई न्यायालय फ ीस या शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ कम समय में विवाद का निस्तारण होगा।

जगरूकता अभियान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त पीएलवी को निर्देशित किया गया की स्थाई लोक अदालत की भूमिका और उद्देश्यों एवं लाभ के बारे में एविधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनमानस को जगरूक करे।

नैनीताल जिले में बारिश का कहर : 1 राज्य मार्ग और 6 ग्रामीण मार्ग बाधित

नैनीताल (आज समाचार सेवा)। सरोवर नगरी नैनीताल में सोमवार को सुबह से ही तेज बारिश जारी रही और कोहरा भी छाया रहा तथा दोपहर बाद मौसम सामान्य रहा। बीते 24 घंटों में शहर में 38 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते जिले के 1 राज्य मार्ग और 6 ग्रामीण मार्ग बाधित रहे। जिसमें रामनगर भंडारपानी राज्य मार्ग सहित पदमपुरी बबियाड, मरनौला भीड़पानी, पटौडी जोशी खोला हल्दयानी, तल्लीपाली मल्लिपाली सूखा तथा अंबेडकर रिखोली व भुजियाघाट सूर्यगांव मार्ग बाधित रहे। विभाग की ओर से मार्गो को खोलने की कार्यवाही गतिमान है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

PAURI GARHWAL

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल

स्थायी लोक अदालत एवं इसके उद्देश्य, लाभ एवं शक्ति

स्थायी लोक अदालत निम्नलिखित जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामलों का त्वरित/निःशुक्ल निस्तारण किया जाता है :-

- वायु/सड़क/जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा
- डाक, सार या टेलीफोन सेवा
- अस्पताल या औषधालय सेवा
- शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों
- बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा
- किसी संस्था द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय
- सार्वजनिक जन संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली
- बीमा सेवा
- आवास और भू-संपदा सेवा

➢ स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से पीड़ित कोई भी नि:शुल्क आवेदन कर सकता है। अर्थात् कोई न्याय शुल्क नही लगता है।	➢ स्थायी लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है तथा उक्त के माध्यम से निस्तारण न होने की दशा में, गुणदेय के आधार पर किया जाता है।
➢ स्थायी लोक अदालत में ऐसे वादों का प्री-लिटीमेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है, जो किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा संदर्भित नहीं किये गये हैं।	➢ स्थायी लोक अदालत में ऐसे मामले में अधिकारिता है, जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य एक करोड रूपये तक है।
➢ स्थायी लोक अदालत में पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। यह आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।	➢ स्थायी लोक अदालत एक साधारण प्रक्रिया है, वादों के निस्तारण में बहुत कम समय लगता है।
➢ स्थायी लोक अदालत में पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।	➢ स्थायी लोक अदालत में प्रत्येक कार्य दिवसों में वादों की सुनवाई होती है।

अतः जो भी व्यक्ति उपरोक्त जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपने मामलों का त्वरित/निःशुल्क निस्तारण करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्यदिवस में निम्न कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है :-

अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत
कोर्ट परिसर, पौड़ी, दूरभाष: 01368-221815
ई-मेल : plapauri@gmail.com

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :-

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल

सिविल जज (व0ख0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल	फोन न0- 01368-221815 ई-मेल - dlsapauri@gmail-com **नालसा हेल्पलाइन नं0-15100**	जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत पौड़ी गढ़वाल

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थापित

स्थाई लोक अदालत

स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामलों का त्वरित/निःशुक्ल निस्तारण किया जाता है :-

1. वायु/सड़क/जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा।
2. डाक, सार या टेलीफोन सेवा।
3. अस्पताल या औषधालय सेवा।
4. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों।
5. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा।
6. किसी संस्था द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय।
7. सार्वजनिक जन संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली।
8. बीमा सेवा।
9. आवास और भू-संपदा सेवा।

सिविल जज (व0ख0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल	जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत पौड़ी गढ़वाल

फोन न0 - 01368-221815, टोल फ्री-1800-180-4000
TOLL FREE NATIONAL ANTINARCOTICS HELPLINE MANAS NO.- 1933,
https://districts.ecourts.gov.in/pauri

नालसा लीगल एड हेल्पलाइन न0 15100
E-MAIL ID : info.ncbmanas@gov.in
E-MAIL ID: dlsapauri@gmail.com, plapauri@gmail.com

PITHORAGARH

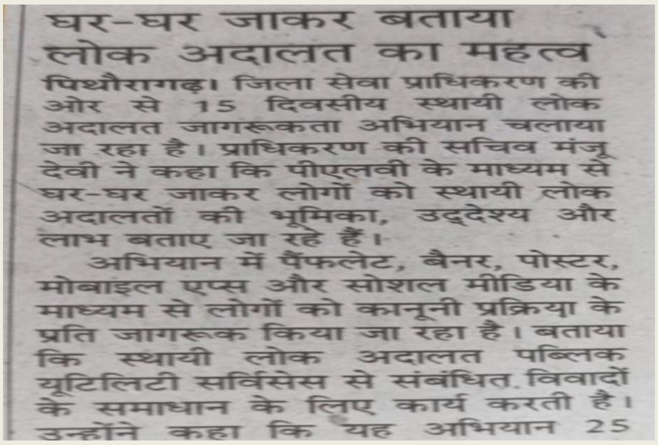

घर-घर जाकर बताया लोक अदालत का महत्व

पिथौरागढ़। जिला सेवा प्राधिकरण की ओर से 15 दिवसीय स्थायी लोक अदालत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने कहा कि पीएलवी के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को स्थायी लोक अदालतों की भूमिका, उद्देश्य और लाभ बताए जा रहे हैं।

अभियान में पैंफलेट, बैनर, पोस्टर, मोबाइल एप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कानूनी प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बताया कि स्थायी लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 25

TEHRI GARHWAL

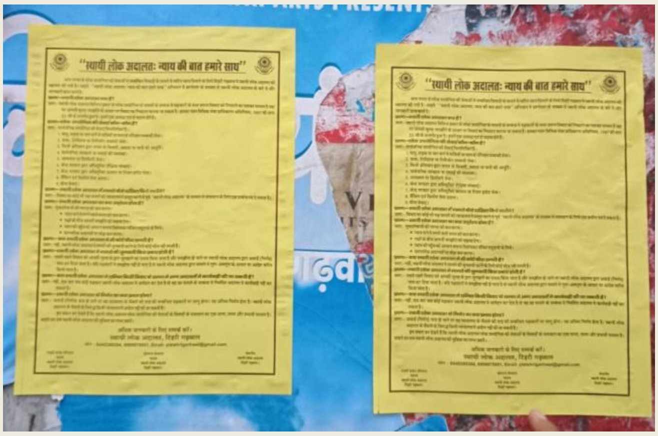

UDHAM SINGH NAGAR

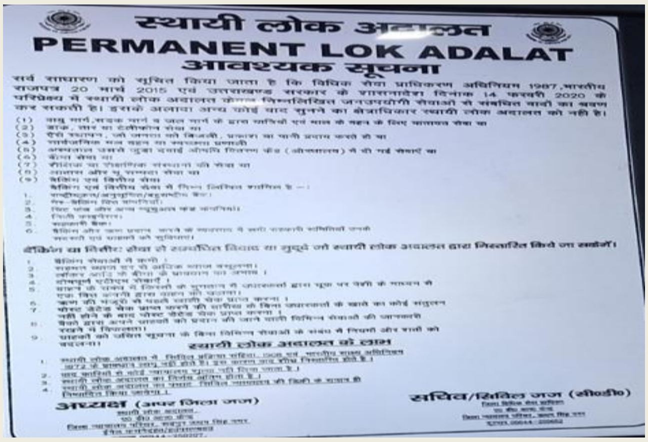

UTTARKASHI